* ओ३म् *

आर्य समाजों के साप्ताहिक सत्संघों

का

कार्य-क्रम,

शुद्धि पद्धति

तथा

आर्य विवाह क़ानून

प्रथमबार २०००	२००३ विक्रमी १९४६ ई०	मूल्य —) प्रति

प्रकाशक—
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा,
देहली।

मुद्रक—
ला० सेवाराम चावला
चन्द्र प्रिन्टिंग प्रेस, नया बाज़ार, देहली।

आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग
का
कार्यक्रम

(१) ये सत्संग प्रायः प्रातःकाल हुआ करें।

(२) प्रथम सब उपस्थित सभासद् मिल कर सन्ध्या या कुछेक अन्य वेद मन्त्रों का पाठ उच्च स्वर से किया करें।

नोटः— प्रातः और सायं नियमित रीति से एकान्त स्थान में सन्ध्या करने का नियम इस सन्ध्या मन्त्र पाठ से शिथिल नहीं होगा।

(३) इसके बाद हवन हुआ करे।

(४) फिर ईश्वर स्तुति और प्रार्थना के भजन गाये जाया करें।

(५) तदनन्तर वेद और आर्ष ग्रन्थों की कथा हो।

(६) तत्पश्चात् उपदेश हुआ करे।

(७) फिर सब सभासद् मिलकर उच्चस्वर से ऋग्वेद के अन्तिम सूक्त के (४) मन्त्रों का पाठ किया करें।

नोटः—ये मन्त्र समस्त आर्यों को याद कर लेने चाहिये।

(८) फिर भजन हों।

(९) अन्त में आवश्यक सूचनायें देकर शान्ति पाठ के बाद सत्संग विसर्जन हुआ करे।

ऋग्वेद का अन्तिम सूक्त

सं समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ।
इलस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥ १

हे सुखों के वर्षक, सब के स्वामी, प्रकाशस्वरूप परमात्मन्! आप संसार के सब पदार्थों को अपनी उचित व्यवस्था के अनुसार परस्पर मिलाते हो और फिर उनका वियोग भी आप ही करते हो, आप अपनी शक्तियों से इस धरती पर चमक रहे हो, हे ऐसे महान् सामर्थ्य वाले भगवान्! आप हमें सब प्रकार के ऐश्वर्य दीजिये।

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे सं जानाना उपासते ।। २

हे पुरुषों! तुम परस्पर मिलकर चलो, मिलकर बातचीत करो, ज्ञानी बनकर तुम अपने मनों को भी एक बनाओ, जैसे कि तुमसे पहले विद्वान् देव पुरुष सम्यक् ज्ञानवान् और एक मति वाले होकर अपना भाग प्राप्त करते रहे हैं।

समानो मन्त्रः समितिः समानी,
समानं मनः सह चित्तमेषाम्।
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः,
समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ ३

तुम्हारे गुप्त विषयों के गम्भीर विचार मिलकर हों विचार के लिए तुम्हारी सभाएं एक जैसी हों, जिन में तुम सब मिलकर बैठ सको, तुम्हारा मनन मिलकर हो, निश्चय मिलकर हो, मैं तुम्हें मिलकर विचार करने का उपदेश देता हूँ और तुमको पारस्परिक उपकार के लिये समान रूप से त्याग के जीवन में नियुक्त करता हूँ।

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ ४

तुम्हारे संकल्प और प्रयत्न मिलकर हों, तुम्हारे हृदय परस्पर मिले हुए हों, तुम्हारे अन्तःकरण मिले रहें, जिनमें परस्पर सहायता से तुम्हारी भरपूर उन्नति हो।

शुद्धि पद्धति

जब एक से अधिक ऐसे सज्जनों का जो वैदिक धर्मी नहीं हैं आर्य समाज में प्रवेश संस्कार हो तो प्रारम्भ में सब लोग (जिन में प्रवेशार्थी भी सम्मिलित होंगे) एकत्रित होकर संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण में विहित हवन करें। हवन में सब को स्नानादि से शुद्ध होकर बैठना चाहिये, जिनके शिर पर शिखा न हो उनको शिखा रख कर बैठना चाहिये। हवन की विधि समाप्त होने पर आचार्य प्रवेशार्थियों से उनकी लोक भाषा में निम्न लिखित दो प्रश्न करें:—

(१) क्या तुमने आर्य समाज के दस नियम जान लिये हैं ?

(२) क्या तुम वैदिक धर्म के अनुकूल आचरण करने की प्रतिज्ञा करते हो ?

प्रत्येक प्रश्न का पृथक् पृथक् स्वीकारात्मक उत्तर मिल जाने पर आचार्य अभिलाषी से गायत्री मन्त्र का पाठ करावे और उसका अर्थ बतलावे।

अन्त में 'अग्ने व्रतपते' इत्यादि और 'अग्ने यज्ञ तपः' इत्यादि मन्त्रों से आहुति डाल कर पूर्णाहुति की जाये।"

शुद्ध शुद्रों के लिए प्रमाण पत्र का नमूना पृष्ठ ६ पर अंकित है।

(फ़ार्म का नमूना)

सं० .... ति० ....

आर्यसमाज ——————

* प्रमाणपत्रम् *

वैदिक धर्म में प्रवेश

नाम ....

आयु ....

निवासी .... ज़िला ....

पूर्व जाति ....

व्यवसाय ....

परिवार:—

पत्नी .... आयु ....

पुत्र .... ,, ...

.... ,, ...

.... ,, ...

पुत्री .... ,, ...

.... ,, ...

.... ,, ...

अन्य .... ,, ...

.... ,, ...

योग जन संख्या { पुरुष .... स्त्री ....

शुद्धि की तिथि ....

शुद्धि का स्थान ....

ह० मन्त्री समाज ह० प्रधान समाज

ह० उपदेशक ....

वैदिक धर्म में प्रविष्ट महाशय के हस्ताक्षर ....

यह प्रति आर्य समाज के रिकार्ड में रहेगी।

सं०........................ तिथि................................

यथेमां वाचं कल्याणी मावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम्ं शूद्राय चार्य्याय च स्वाय चारणाय। य० अ० २६ मं० २।

अर्थ—हे मनुष्यो ! मैं ईश्वर जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री सेवक आदि तथा उत्तम लक्षणयुक्त प्राप्त हुए अन्त्यज के लिये इस संसार में सुख देने वाली चारों वेद रूप वाणी का उपदेश करता हूँ वैसे आप लोग भी अच्छे प्रकार उपदेश करें।

आर्यसमाज..................................

* प्रमाणपत्रम् *

हम प्रमाणित करते हैं कि.......................आयु.................. निवासी..............जिला.............ने जो पूर्व..............थे प्रसन्नता पूर्वक वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। इनका ति०....... को............(स्थान) में शास्त्रविध्यनुसार आर्यसमाज में प्रवेश कराया गया है। अतएव आज से यह आर्यों केसदृश खान-पान आदि सब व्यवहार के अधिकारी हैं। इनके साथ परिवार के निम्न-लिखित मनुष्यों ने भीप्रवेश किया है

पत्नी........आयु........

पुत्र.............. ,, ...

.... ,, ...

.... ,, ...

पुत्री............ ,, ... ह० मन्त्री ह० प्रधान

आर्य समाज आर्य समाज

.... ,, ... ह० उपदेशक......................

अन्य.......... ,, ...

.... ,, ...

यह प्रति शुद्ध होने वाले सज्जन को दी जायगी।

Arya Marriage Validation Act No 19 of 1937.

[Finally Passed by both the Houses and sanctioned by His Excellency the Governor General]

To recognise and remove doubts as to the validity of inter-marriages current among Arya Samajists.

Whereas it is expedient to recognise and place beyond doubt the validity of inter-marriages of a class of Hindus known as Arya Samajists; it is hereby enacted as follows-

Short Title and Extent.

1. (i) This Act may be called the Arya Marriage Validation Act. 1937.

(ii) It extends to the whole of British India including British Baluchistan and the Santhal Parganas, and applies also to all subjects of His Majesty within other parts of India, and to all Indian subjects of His Majesty without and beyond British India.

Marriages between Arya Smajists not to be invalid.

2. Notwithstanding any provision of Hindu law, usage or custom to the contrary no marriage contracted whether before or after the commencement of this Act between two persons being at the time of the marriage Arya Samajists shall be invalid or shall be deemed ever to have been invalid by reason only of the fact that the parties at any time belonged to different castes or different sub-castes of Hindus or that either or both of the parties at any time before the marriage belonged to a religion other than Hinduism.

आर्य विवाह क़ानून नं० १९ सन् १९३७ ई०

[यह क़ानून असेम्बली तथा कौंसिल आफ़ स्टेट में अन्तिम रूप से पास हो चुका है और गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृति भी हो चुकी है ।]

आर्य समाजियों में प्रचलित अन्तर्जातीय विवाहों का जायज होना स्वीकार करने और तत्सम्बन्धी शंकाओं को दूर करने के लिए

चूँकि हिन्दुओं के आर्य समाजी नामक वर्ग के अन्तर्जातीय विवाह का जायज़ होना स्वीकार करने और तत्सम्बन्धी शंकाओं को दूर करने की जरूरत है इस लिए इसके ज़रिये नीचे लिखे मुताबिक कानून बनाया जाता है:-

छोटा नाम और विस्तार

१-(क) यह कानून "आर्य विवाह जायज़ बनाने वाला एक्ट सन १९३७" कहलायेगा।

(ख) यह (एक्ट) तमाम ब्रिटिश हिदुस्तान में जिसमें ब्रिटिश बलूचिस्तान और संथाल परगने भी शामिल हैं, लागू होगा और हिन्दुस्तान के अन्य भागों में सम्राट की समस्त प्रजा को और ब्रिटिश हिन्दुस्तान के बाहर और उस पार की समस्त हिंदुस्तानी प्रजा को भी लागू होगा।

आर्यसमाजियों का विवाह नाजायज नहीं होगा

२—बावजूद हिन्दू रीति या रिवाज के किसी विरुद्ध विधान के (हिन्दू कानून या रीति रिवाज में कोई विधान इसके विरुद्ध रहते हुए भी) विवाह के समय आर्य समाजी कहने वाले व्यक्तियों के बीच का कोई भी विवाह चाहे वह विवाह सम्बन्ध इस एक्ट के लागू होने के पूर्व हुआ हो या तत्पश्चात हुआ हो, केवल इसी बात के कारण कि वे लोग किसी समय हिंदू समाज के भिन्न भिन्न जाति या भिन्न भिन्न उपजाति के थे या कि उनमें से कोई एक या दोनों ही विवाह के पूर्व किसी समय हिंदू धर्म के सिवाय किसी अन्य धर्म के थे नाजायज नहीं होगा या कभी भी नाजायज़ था (रहा हो) ऐसा नहीं माना जावेगा।

(फ़ार्म के नमूने)

आर्य विवाह ऐक्ट के सम्बन्ध में

घोषणा पत्र सं० १

मैं ....पुत्र/पुत्री .... निवासी/निवासिनी ....

तहसील .... जिला .... आयु .... पेशा ....

घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं आर्य समाजी हूँ और श्रीयुत ....

के पुत्र/पुत्री .... के साथ जिसकी अवस्था ....

की है और आर्य समाजी भी हैं विवाह करना चाहता हूँ/चाहती हूँ।

....

हस्ताक्षर घोषणा करने वाला/वाली

ता० ....

हमारे सामने उक्त घोषणा की गई और हस्ताक्षर भी हुए

....

हस्ताक्षर मन्त्री आर्य समाज   हस्ताक्षर प्रधान आर्य समाज

तारीख ....   तारीख ....

....

हस्ताक्षर अन्यउपस्थित सज्जन गण

आर्य विवाह ऐक्ट के सम्बन्ध में

घोषणा पत्र सं० २

मैं........... ....पुत्र/पुत्री..................निवासी/निवासिनी..........

तहसील... ...... जिला.............आयु....पेशा.........

घोषणा करता/करती हूँ कि तिथि.......को...........में शुद्धि...

कराके आर्य समाजी हो गया/गई हूँ..... मैं यह भी घोषणा

करता/करती हूँ कि शुद्धि से पूर्व मैं....................था*/थी।

....

ह० घोषणा करने वाला/वाली

ता०........ ....

हमारे सामने उक्त घोषणा की गई और हस्ताक्षर हुये।

....

ह० मन्त्री .... ह० प्रधान............ ......

आर्यसमाज............ आर्य समाज.... ....

ता०..............................

....

हस्ताक्षर अन्य उपस्थित सज्जनगण

---

*मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, इत्यादि अवैदिकधर्मवाले।

आर्य समाज ऐक्ट सम्बन्धी,

घोषणा पत्र सं० ३

(१९३७ से पूर्व हुए विवाहों के लिये)

म.................................. पुत्र/पुत्री ....

निवासिनी/निवासी .... डाकघर .... तहसील ....

जिला .... आयु .... व्यवसाय ......

दिनांक ......सन् ....को श्रीमान/श्रीमती ....के

पुत्री/पुत्र ....आयु ....व्यवसाय ....

के साथ विवाही गई थीं/विवाहा गया था और यह घोषित करता/करती हैं कि इस विवाह से पूर्व और अब भी आर्य समाजी हैं।

नोट:—इस घोषणा पत्र को लिखते समय की तारीख दें।

स्थान हस्ताक्षर ....

दिनांक

१. ह० साक्षी

२. ह० साक्षी

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त घोषणा पत्र सत्य है और उपर्युक्त घोषित विवाह आर्यसमाज........द्वारा सम्पन्न हुआ था।

दिनांक ह० मन्त्री .... ह० प्रधान ....

आर्य समाज ....

आर्य विवाह ऐक्ट सम्बन्धी

घोषणा पत्र सं० ४

प्रमाणित किया जाता है कि श्री म०..
के सुपुत्र.. निवास स्थान ....
डाकखाना.. ज़िला.......................... प्रान्त..............
का विवाह संस्कार तिथि.. वि० / ई० को
श्री म०...की
सुपुत्री .... निवास स्थान..............................
डाकखाना.................................. ज़िला.. प्रान्त.........
के साथ आर्य समाज.. में पुरोहित
श्री.. द्वारा कराया गया।
वर-वधू के विस्तृत विवरण इस पत्र के पृष्ठ भाग पर अंकित है।

....

ह० प्रधान ह० मन्त्री

आर्य समाज.................................. आर्य समाज..................................

....

ह० पुरोहित आर्य समाज

नोट—इस प्रमाण-पत्र की १ प्रति आर्य समाज की फ़ायल में रहेगी, और दूसरी प्रति वर-वधू को दी जायेगी।